राजस्थान–सरकार

कार्यालय जिला कलक्टर राजसमन्द

अपील संख्या 74 / 2020

अनवान् मुकदमा

अपीलार्थी	बनाम	प्रत्यर्थी
श्री कालुराम गुर्जर पिता छीतरमल नि. भचरडिया, पो. कुंदवा, तह. देवगढ़, जिला राजसमन्द		लोक सूचना अधिकारी जिला रसद अधिकारी राजसमन्द

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम – 2005

निर्णय

दिनांक **21.01.2021**

1. अपीलार्थी अनुपस्थित।
2. प्रत्यर्थी पक्ष अनुपस्थित।
3. मैने प्रत्यर्थी पक्ष की रिपोर्ट/जवाब एवं पत्रावली का विशद परिशीलन किया।
4. अपीलार्थी के आवेदन दिनांक 29.07.2020 के द्वारा जिला रसद अधिकारी राजसमन्द सेऊवा अभिलेख से संबंधित सूचना चाही गई थी। सूचना नही मिलने के आक्षेप पर हस्तगत अपील पेश की गई हैं।
5. लोक सूचना अधिकारी, जिला रसद अधिकारी राजसमन्द के पत्रांक रसद/सूचना का अधिकार/अपील/2020–21/06 दिनांक 11.01.2021 से प्राप्त रिपोर्टानुसार वांछित सूचना जरिये पत्रांक 3939 दिनांक 06.01.2021 रजिस्टर्ड डाक से अपीलार्थी को भिजवाई जा चुकि हैं। तथा शेष रही सूचना अवधि 01.09.2020 से 19.10.2020 तक की लॉग बुक उपलब्ध कराने हेतु वाहन मालिक को लिखा गया, प्राप्त होते ही सूचना उपलब्ध करा दी जावेगी।
6. अपीलार्थी ना ही पेशी पर उपस्थित हुआ और ना ही कोई अन्यथा प्रतिक्रिया प्रस्तुत की हैं। जिला रसद अधिकारी राजसमन्द को निर्देशित किया जाता है कि शेष रही सूचना वाहन मालिक से लॉग बुक प्राप्त की जाकर अपीलार्थी को उपलब्ध करावें। अतः उक्त अपील खारिज किया जाना समीचीन हैं।
7. अस्तु, वर्तमान अपील खारिज की जाती हैं।
8. निर्णय की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।
9. निर्णय घोषित।

(अरविन्द कुमार पोसवाल)
लोक सूचना अपीलीय अधिकारी
(जिला कलक्टर)राजसमन्द

न्यायालय जिला कलक्टर
राजसमन्द (राज.)